



JALAUN POLICE

सराहनीय कार्य

दिनांक 11.08.2026

थाना आटा पुलिस टीम द्वारा अन्तर्गत धारा- 115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट से संबन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 10.08.2026 को श्रीमती डोली पत्नी गुलाम सिंह द्वारा थाना आटा पर तहरीरी सूचना दी गयी थी कि अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा वादिया के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर जान से मारने की नियत से वादिनी के ऊपर लाईसेंसी बंदूक से फायर करना जिसके संबन्ध में थाना आटा पर 134/26 धारा- 115(2)/352/351(2)/109बीएनएस 2023 व 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना आटा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र पुत्र फूल सिंह उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम अटरिया थाना आटा जनपद जालौन को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शैलेन्द्र निरंजन पुत्र फूल सिंह उम्र करीब 49 वर्ष निवासी ग्राम अटरिया थाना आटा जनपद जालौन

अभि० शैलेन्द्र निरंजन का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 0134/2026 धारा धारा 115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस 2023 व 30 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन
2. मु०अ०सं० 144/17 धारा 147/149/342/323/504/506 भादवि व 3(1) एससी/एसटी एक्ट थाना आटा जनपद जालौन
3. परिवाद संख्या 173/25 धारा 333/115(2)/351(2)/70(1) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1-थानाध्यक्ष आटा मय टीम ।